

## विचार बिन्दु

केवल आन्तर्ज्ञान ही हृदयात्मा को सच्चा आनंद प्रदान करता है। -रामतीर्थ

# चुनाव के हेतु मतदाता सूची चुनाव आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में संविधान के अनुच्छेद 324, 325, 326, 327 व 328 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार बनाई जाती है

**स**

टीक मतदाता सूची, लोकतंत्र का प्राण है। मतदाता सूचियों की शुरूआत की एपीज़िमेंटरी चुनाव आयोग की है। समय-2 पर मतदाता सूचियों का परीक्षण भी आवश्यक प्रतिक्रिया है। इस प्रक्रिया के द्वारा पिछली मतदाता सूची की तुलना में पाई जाने वाली विसंगतियों और बदलाव का चिन्हन किया जाकर, मतदाता सूचियों को चुनाव में उपयोग किया जाता है। बिहार में इस समय बीच लिस्ट को गहन सौंपीया का कार्य SIR (एसआईआर) चल रहा है। बिहार में 1.56 लाख से अधिक बृथ लेवल पेन्डन्ट नियुक्त किये गये हैं। सभी दलों ने अपने ऐसे नियुक्त किये हैं। बाई के निवासी वांछित जनकारी उपलब्ध कराते हैं। कार्यस् को अपलोड किया जाता है। आपकार्यों ली जाती है। सुचारू की जाती है। सुचारू की जाती है। विधायक गठित टीम सुपरवाइज़ करती है। प्राप्त डोकेमेन्स को परीक्षण होता है। अपील की भी प्राप्तवाध है।

संविधान में अनुच्छेद 324 के द्वारा निवाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के पूर्ण अधिकार चुनाव आयोग का दिये हैं। यह एक संवैधानिक संस्था है यह देश को एक मात्र संवैधानिक संस्था है जिसे निवाचन के सम्बन्ध में कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधान निर्माणी के अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 325 में इस संस्था को मतदाता सूची वांछित करने के अधिकार है, पारा व्यक्ति को सूची वांछित करने के अधिकार है। अनुच्छेद 326 स्पष्ट निर्देशन से जुड़े हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो भरत का नामांकित है उसे विधायक मतदाता के आधार पर चुनाव में मतदाता ओं के अधिकार होगा। अनुच्छेद 327 में यह निर्देश है कि इस संविधान के उपर्योग के अधीन रहने होये समय-2 पर विधायक द्वारा संसद के प्रत्येक सदन, राज्य के विधान मंडल तथा विधान मंडल के सदस्यों के लिये निवाचन (मतदाता) सूची वैयाय करना आदि सभी विधायक हैं, उपर्युक्त कर सकती। अनुच्छेद 329 में निर्वाचन सम्बन्धित तामाजों को हस्तक्षेप करति किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट निर्देश है कि चुनाव आयोग की शक्तियों के अधीन संसद का कानून है।

संविधान को प्रत्येक समीक्षा के अनुरूप यह स्पष्ट है कि संविधान का अनुच्छेद 324, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 कानूनी और संवैधानिक वाच्यात्मये नियित करते हैं और मतदाता सूचियों के मालालों में चुनाव आयोग को पूर्ण अधिकार है, यहां तक संविधान के व्यायालय का व्यायालय का विधायक है।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि परम प्राप्त विधायक चुनाव आयोग है और देश का नामिक ही केवल मतदाता करने का कानून है।

बिहार में SIR (एसआईआर) को लेकर मतदाता सूचियों में कई विसंगतियों को चिह्नित करते हुये प्रण उत्तराये हैं और ड्राइफ मतदाता सूची की तुलनी है। सर्वोच्च न्यायालय की खण्डपीठ इस सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वायर की पाई व्यक्तियों पर सुनवाई कर रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आधारों के अनुसार 65 लाख मतदाता ओं की लिस्ट जारी की गई है, उनके नाम प्रकाशित किये जाएं तो अब पुणः फार्म भरकर देंगे और चुनाव आयोग को अधिकारी उन पर विचार कर अपना निर्णय देंगे कि किनते नाम मतदाता सूची में जोड़ जावेंगे और किनतों के नाम काटे जावेंगे अभी तक 12 राजनीतिक पार्टीयों में से एक ने 12 आपत्तियां पेश की हैं। दिनांक 8 सितंबर को पुणः सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होगी।

विषयक गहल गांधी की नेतृत्व में मतदाता सूचियों की विसंगतियों को लेकर चुनाव आयोग पर आयोग लगा रहा है कि चुनाव आयोग, केन्द्र सरकार के द्वारा पर कार्य कर रहा है और वह गहल गांधी को आधारों के नामों को काट रहा है और सुनवाई कर रहा है। वोट चोरी के आरोप संसद में, संसद के बाहर और सड़कों पर तथा अब तो यात्रा के आयोजनों में लगाये जा रहे हैं। विषयक के सभी नेता, जो गहल गांधी के साथ में अपने को बता रहे हैं वे की केन्द्र सरकार व चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने के गम्भीर लाल बिलाडा हुआ है। नारों में शान्तिनाता का स्वयंत्रता की खो गई है। चुनाव आयोग को कटवडे में खड़ा रहा गया है। विषयक संवैधानिक संस्था को समाप्त देना भी गहल गांधी है कि चुनाव आयोग को विधायक द्वारा नियमित किया गया है।

विषयक गहल गांधी की नेतृत्व में मतदाता सूचियों की विसंगतियों को लेकर चुनाव आयोग पर आयोग लगा रहा है कि चुनाव आयोग, केन्द्र सरकार के द्वारा पर कार्य कर रहा है और वह गहल गांधी को आधारों के नामों को काट रहा है और सुनवाई कर रहा है। वोट चोरी के आरोप संसद में, संसद के बाहर और सड़कों पर तथा अब तो यात्रा के आयोजनों में लगाये जा रहे हैं। विषयक के सभी नेता, जो गहल गांधी के साथ में अपने को बता रहे हैं वे की केन्द्र सरकार व चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने के गम्भीर लाल बिलाडा हुआ है। नारों में शान्तिनाता का स्वयंत्रता की खो गई है। चुनाव आयोग को कटवडे में खड़ा रहा गया है। विषयक संवैधानिक संस्था को समाप्त देना भी गहल गांधी है कि चुनाव आयोग को विधायक द्वारा नियमित किया गया है।

वस्तुतः विषय नेता राहुल गांधी का केस है

कि केन्द्र सरकार के इशारे पर चुनाव + आयोग ने मतदाता सूचियों में गडबडी की

है, सही मतदाताओं के नाम काटे हैं जीवित व्यक्तियों को मृतक बना दिया है।

दो-दो स्थानों पर नाम दर्ज किये हैं आदि।

इस कार्यवाही को वे वोटों की चोरी की संज्ञा दे रहे हैं, जबकि यह केस चोरी का

नहीं है। उन्होंने इस हेराफेरी का न तो कोई स्वतूल दिया है, उनके यह संख्या विधायक संघर्ष के अधिकारी को आरोपित करता है।

वे महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि अन्य राज्यों में पहले ही चुके चुनावों के मतदाता नहीं हैं।

चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से जो स्वयं पर स्वरूपों में किसी गहल करने को कहा है उसका आधार मतदाता पंजीकरण है, 1960 का नियम 20(3)(c) है। उन्हें उल्लेख है कि जो व्यक्ति चुनाव जीतने वाला शक्ति की मतदाता सूची की वैधता को विसंगतियों के आधार पर चुनावों नहीं है, यदि वह गहल गांधी के साथ में अपने को बता रहे हैं तो उन्हें शपथ पर स्वरूपों के साथ देना चाहिये। नोटिस की अवधि समाप्त हो चुकी है, किन्तु अभी तक गहल गांधी ने कोई उत्तर नहीं दिया है, उनके यह संख्या विधायक है कि यदि कोई व्यक्ति (नोटिस देने वाला) उत्तर नहीं देता है तो यह मान जावेगा कि उसके आरोप है।

पाठ्यक्रम का व्यायालय आकर्षित करना चाहिए कि उसके नियमों के अनुसार कोई व्यक्ति यह विसंगतियों पर जुटे अरोपों का प्रचार करता है और मतदाताओं की भावनाओं को भड़कता है तो उन्हें स्वतूल दिया जाए।

संविधान के अनुच्छेद 191 में विधायक सम्बन्धीयों की सदस्यता लिये निर्वाचनात्मक संस्थानों का उत्तरोत्तरीकरण का अधिकार है, जिसके अनुसार विधायक सम्बन्धीयों की सदस्यता लिये नियम 20(3)(c) के अनुसार शास्त्र-पत्र देने को कहा जाता है। अब उन्हें अपराध करता है और उन्हें 2 साल या अधिक की सजा होती है तो वह अयोग्य घोषित होगा, तथा यदि वह अयोग्य घोषित होगा तो उन्हें अपराध करता है।

वस्तुतः विषय नेता राहुल गांधी का केस है कि केन्द्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों में गडबडी की है, सही मतदाताओं के नाम काटे हैं जीवित व्यक्तियों को मृतक बना दिया है।

दो-दो स्थानों पर नाम दर्ज किये हैं आदि।

इस कार्यवाही को वे वोटों की चोरी की संज्ञा दे रहे हैं, जबकि यह केस चोरी का

नहीं है। उन्होंने इस हेराफेरी का न तो कोई स्वतूल दिया है, उनके यह संख्या विधायक संघर्ष के अधिकारी को आरोपित करता है।

संविधान के अनुच्छेद 191 में विधायक सम्बन्धीयों की सदस्यता लिये निर्वाचनात्मक संस्थानों का उत्तरोत्तरीकरण का अधिकार है, जिसके अनुसार विधायक सम्बन्धीयों की सदस्यता लिये नियम 20(3)(c) के अनुसार शास्त्र-पत्र देने को कहा जाता है। अब उन्हें अपराध करता है और उन्हें 2 साल या अधिक की सजा होती है तो वह अयोग्य घोषित होगा, तथा यदि वह अयोग्य घोषित होगा तो उन्हें अपराध करता है।

वस्तुतः विषय नेता राहुल गांधी का केस है कि केन्द्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों में गडबडी की है, सही मतदाताओं के नाम काटे हैं जीवित व्यक्तियों को मृतक बना दिया है।

लेखक का अपना विचार है कि संसद को एक कानून बनाना चाहिए, जिसमें प्राधान हो कि

यदि कोई देश का नामिक संवैधानिक कर्तव्यों की पालना नहीं करती तो वह गहल गांधी के साथ में खड़े होने के हेतु क्षेत्रोंपर संपत्ति की रक्षा करें। राष्ट्र-व्यवस्था का अधिकारी आपको गहल गांधी के साथ में खड़े होने के लिए राष्ट्र-व्यवस्था को अपराध करता है।

लेखक का अपना विचार है कि संसद को एक कानू